

उर्द अहकाम
(नियम 26)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

करण संख्या - 03/2019
क्रम मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

उनवान

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्री लादू सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत, निवासी बैरा, तहसील बनेड़ा, मु.वि.क. ICICI बैंक लि० शाखा S.K. प्लाजा, भीलवाड़ा
—प्रार्थी			—विपक्षी

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
6.04.2019	<p style="text-align: center;">:: आदेश ::</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31/01/2018 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गयी, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15/09/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्रांक: 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम बैरा की आराजी नं० 1972 में से 0.0335 हेक्टेयर भू-भाग अवाप्त किया गया है।</p> <p>तहसीलदार बनेड़ा से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बैरा की आराजी नं० 1972, किस्म चाही II, रकबा 0.18 बीघा विपक्षी के स्वामित्व की होकर इस आराजी में से 0.0335 हेक्टेयर अर्थात् 335 वर्ग मीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन है। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक रायला से प्राप्त की गयी।</p> <p>अतः तहसीलदार बनेड़ा से प्राप्त मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम बैरा की आराजी नम्बर 1972 में से 0.0335 हेक्टेयर अर्थात् 335 वर्ग मीटर भूमि का</p>	

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1986 के धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनर्वसन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम बैरा)	1972
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.0335 हेक्टर अर्थात् 335 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	चाही।।
4	हितबद्ध खातेदार	श्री लादू सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह राजपूत, निवासी बैरा, तहसील बनेड़ा, रहन
5	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति बीघा)	17,79,200- रुपये
6	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	703.44- रुपये
7	PWD के अनुसार ग्राम बैरा की शहरी सीमा से स्थित दूरी	18.30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	2,35,652- रुपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 20-30 किमी पर देय कारक 1.50 गुणा की दर से राशि	3,53,478- रुपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	Nil
11	योग (9+10)	3,53,478- रुपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का	3,53,478- रुपये
13	दिनांक 24.02.2018 से 16.04.2019 तक कुल 416 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	32,229- रुपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+12+13)	7,39,185- रुपये
15	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	Nil
16	हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	7,39,185- रुपये

अक्षरे - सात लाख उनचालीस हजार एक सौ पिव्यासी रुपये मात्र

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। अवाप्ताधीन भूमि चूकी रहन हैं। अतः रहन मुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रतिकर का भुगतान किया जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फौसल शुमार की जावे।



(राकेश कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा